


रीवा कैम्प

(61)

न्यायालय श्री मानू राजस्व मण्डल ग्वालियर बेन्च रोवा म०प्र०



10.6.13

203
16.6.13

सिविल-1731-111/13

मु० दलोरिया बेवा. रामानुज निवासी ग्राम चन्दई तह० त्याधेर जिला रोवा
म०प्र०

निगरानी कर्ता

बनाम

शंकर प्रसाद तनय श्री स्व० रामचन्द्र भुर्तिया निवासी ग्राम चन्दई तह० त्याधेर
जिला रोवाम०प्र०

गैर निगरानी कर्ता

अधिवक्ता श्री ~~के.के. प्रसाद~~
माधव इला प्रसूत
रीवा, दि. 16.4.13

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32(1) म० प्र० भू. राजस्व
संहिता 1959 ई०


महोदय,
राजस्व मंडल, ग्वालियर

आवेदन के आधार निम्नी लिखित है :-

1- यह कि उमरोक्त उन्मान का निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय में
विचाराधीन है जिसका प्रकरण 62/आर/12688 II में दिनांक 19.3.2012
को आदेश पारित कर दिया है ।

2- यह कि गैर निगरानीकर्ता को आराजी नं. 249 रक्वा 1.12 एकड़
निगरानी कर्ता के मात रामानुज द्वारा परिवारिक हिस्सा बाट में दिया
था हिस्सा बाट में प्राप्त आराजी 249 रक्वा 1.12 एकड़ में कभी गैर
निगरानी कर्ता का लगभग 37-38 साल लगातार कब्जा करवा चला आ रहा
है आज भी मौके पर गैरनिगरानी कर्ता ही उक्त भूमि पर कांविज दाखिल

3- यह कि उक्त आराजी नं. 249 रक्वा 1.12 हि० के लिए रामानुज

30.4.13

✓

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-M.1731-III/13

जिला-रीवा

मु० दलोदिया/शंकर प्रसाद

(1)	(2)	(3)
22.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	